न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00312 **दायरा दिनांक : 08.11.2017**

उनवान

महेन्द्र सिंह आयु 54 वर्ष मुतबन्ना कहैयालाल चौहान, निवासी छबडा, जिला बारां.... अपीलांट

बनाम

1. भागचन्द आयु 59 वर्ष आत्मज चतरभुज, जाति धाकड़
2. चुन्नीलाल आयु 47 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड़
3. चिरोजीलाल आयु 44 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
4. हंसराज आयु 34 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
5. मूलचन्द आयु 31 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
6. सुशीला बाई आयु 41 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
7. लाडबाई आयु 29 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
8. नटीबाई आयु 69 वर्ष बेवा लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
   निवासीगण ग्राम रीछड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राजस्थान)
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 192/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम छबड़ा, तहसील छबड़ा, में भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2017 विधि एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी अपीलांट खातेदार कृषक होते हुए, काबिज होते हुए मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर, साक्ष्य व दस्तावेजों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। न्यायालय में पक्षकारों के राजीनामा प्रस्तुती के पश्चात भी न्यायालय ने उसे नहीं मानकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भारी भूल की है। जबकि राजीनामा को किसी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी थी। तनकी नं. 1 का विवेचन किये बिना ही, फर्जी बेचान नामों को महत्व देकर भारी त्रुटि की है। जबकि आराजी अपीलांट के खाते दर्ज है। जबकि सत्येन्द्र कुमार को बेचान का अधिकार भी नहीं था। इसी प्रकार तनकी नं. 2 का निर्णय भी त्रुटिपूर्ण तरीके से दिया है। यह अविवादित है कि अपीलांट का कब्जा है तथा 1000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से केश सिक्युरिटी पर उसका कब्जा बनाये रखने का आदेश है। वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में था, उसको धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मानकर कब्जाधारी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2017 निरस्त फरमाई जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकियों का विधिवत विवेचन नहीं किया गया है। और ऑर्डर 20 नियम 5 सी पी सी की पालना नहीं की गई है। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार विस्तृत विवेचन करने बाबत रिमाण्ड किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सन्दर्भ में वर्तमान अपीलांट के पिता कन्हैयालाल ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 125 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.1991 से वादी का वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.09.1998 से वादी अपीलांट कन्हैयालाल का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से 3 बीघा 6 बिस्वा का अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी से रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 16 को बेदखल करने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 206/2004 लक्ष्मीनारायण बनाम कन्हैयालाल में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2008 की प्रतिलिपि के अनुसार इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 841/1994 उनवान कन्हैया लाल बनाम बेगम बाई में पारित उपरोक्त पूर्व निर्णय दिनांक 10.09.1998 की पालना हेतु रेस्पोडेंट डिक्री होल्डर कन्हैयालाल द्वारा इजराय प्रस्तुत करने पर तहसीलदार छबडा द्वारा निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 10.09.1998 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1028 दिनांक 10.08.1999 से रेस्पोडेंट डिकी होल्डर कन्हैयालाल का नाम 3 बीघा 6 बिस्वा पर दर्ज हो जाने के आधार पर डिकी की अनुपालना स्वीकार करते हुए इजराय कार्यवाही समाप्त घोषित कर दी गई। इस निर्णय में यह भी अंकित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.09.1999 से जाहिर होता है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 29.05.1992 से सत्येन्द्र कुमार पुत्र दामोदर बागडी को दिनांक 07.05.1992 को बेगम बाई वगैरहा द्वारा विकय कर दी गई एवं नामान्तरकरण संख्या 909 दिनांक 28.05.1997 के अनुसार केता सत्येन्द्र कुमार द्वारा भी दिनांक 05.05.1997 को उक्त आराजी वर्तमान अपीलांट लक्ष्मीनारायण वगैरहा को बेचान कर दी गई। अर्थात इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 841/1994 कन्हैया लाल बनाम बेगम बाई में अपीलांट कन्हैयालाल के पक्ष में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 10.09.1998 से पूर्व ही विवादित आराजी का दो बार बेचान हो चुका था। इस कारण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.06.2008 में अंकितानुसार डिकीदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2000 को इजराय कार्यवाही को पुनः नम्बर पर लिये जाने का अनुरोध करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी लक्ष्मीनारायण वगैरहा को मदयूम (बेगम बाई) वगैरहा द्वारा बेचान की जा चुकी है। अतः लक्ष्मीनारायण वगैरहा को भी बेदखल किया जावे। अर्थात अपील संख्या 206/2004 निर्णय दिनांक 23.06.2008 में अंकित उक्त कथन से यही स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000 में भी विवादित आराजी पर अपीलांट लक्ष्मीनारायण व भागचन्द का ही कब्जा काश्त था, इसी कारण डिकीदार कन्हैयालाल द्वारा लक्ष्मीनारायण वगैरहा को विवादित आराजी से बेदखल करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2000 को इजराय को पुनः नम्बर पर लिये जाने का अनुरोध किया गया। इससे प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 11.04.2000 तक कन्हैयालाल का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.08.2000 से विवादित आराजी से लक्ष्मीनारायण वगैरहा को बेदखल करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध लक्ष्मीनारायण वगैरहा द्वारा इस न्यायलय में अपील संख्या 206/2004 प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुन कर अपने निर्णय दिनांक 02.07.2004 से अपीलांट के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह आदेश पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर छबडा के आदेश दिनांक 30.08.2000 में विवादित आराजीयात का 1000/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के अनुसार कैश सिक्युरिटी यदि अपीलांट तहसीलदार छबडा ,जिला बारां को दिनांक 21.07.2004 तक जमा करा देता है तो अपीलांट को बेदखल नहीं किया जावे, यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न उक्त आदेश की प्रतिलिपि के अनुसार स्पष्ट है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न इस न्यायालय के पत्र कमांक 3731 दिनांक 16.11.2006 की प्रतिलिपि के अनुसार उपजिला कलेक्टर, छबडा द्वारा अपने प्रकरण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या 21/2000 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2000 में अपने पत्र कमांक 1924 दिनांक 05.11.2004 से मार्गदर्शन मांगा गया। इस न्यायालय द्वारा उप जिला कलेक्टर, छबडा को दिनांक 16.11.2006 को पत्र प्रेषित करते हुए पत्र में यह अंकित किया गया है कि अपील संख्या 206/2004 उनवान लक्ष्मीनारायण बनाम कन्हैया लाल (मृतक) कायम मुकामान महेन्द्र सिंह मुतबन्ना कन्हैयालाल इस न्यायालय में जैरकार है मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2006 को प्राप्त हुई है। तद्नुसार अपीलांट भागचन्द का कब्जा है रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट विवादित भूमि पर अपना कब्जा बनाये रखने हेतु 1000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रति बीघा से केश सिक्युरिटी दिनांक 20.12.2006 तक जमा करावे तो उसे बेदखल नहीं किया जावे। इससे भी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि दिनांक 20.12.2006 तक विवादित आराजी पर वर्तमान अपीलांट महेन्द्र सिंह मुतबन्ना कन्हैयालाल का कब्जा काश्त नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रतिलिपि रसीद दिनांक 30.11.2006 के अनुसार भागचन्द पुत्र चतरभुज द्वारा केस सिक्युरिटी की राशि 3300/– रूपये जमा कराना स्पष्ट होता है। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 206/2004 बउनवान लक्ष्मीनारायण बनाम कन्हैयालाल (मृतक) कायम मुकामान महेन्द्र सिंह मुतबन्ना कन्हैयालाल में अंतिम रूप से दिनांक 23.06.2008 को निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि अधीनस्थ न्यायालय की इजराय पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.10.1999 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील डिक्रीदार डिक्री दिनांक 10.09.1998 की अनुपालना से संतुष्ट थे तो उस स्थिति में पश्चातवर्तीय प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2000 द्वारा पूर्व निर्णित इजराय कार्यवाही को पुर्नजीवित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। आदेशिका दिनांक 30.10.1999 के अनुसार इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 10.09.1998 की अनुपालना से वर्तमान रेस्पोडेंट डिक्री होल्डर के अभिभाषक संतुष्ट हो जाने के बाद विवादित आराजी पर उक्त आदेश दिनांक 30.10.1999 के बाद वर्तमान अपीलांट का कब्जा पाये जाने की स्थिति में डिक्री की अनुपालना एक बार सुनिश्चित हो जाने पर इस न्यायालय की डिक्री दिनांक 10.09.1998 की दुबारा अनुपालना के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता है तथा अन्य कोज ऑफ ऐक्टशन के आधार पर दुबारा दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2000 को समर्थित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2000 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2000 वर्तमान रेस्पोडेंट कम 1 भागचन्द व रेस्पोडेंट कम 2 ता 8 के पिता व पति लक्ष्मीनारायण को विवादित आराजी से बेदखली से सम्बन्धित था।

इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 23.06.2008 की पालना में वर्तमान रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.08.2008 को प्रकरण संख्या 192/2008 से अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद दर्ज करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उभयपक्ष तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.10.2017 से वादी रेस्पोडेंटगण का वाद स्वीकार कर ग्राम छबडा की भूमि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 59/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा पर से महेन्द्र सिंह मुतबन्ना कन्हैयालाल का नाम विलोपित करने एवं वादी नम्बर 1 को हिस्सा 1/2 पर एवं वादी नम्बर 2 ता 8 को हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित करते हुए प्रतिवादी नम्बर 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है कि वादीगण के कब्जा काश्त आराजी में दखल अन्दाजी नहीं करें, तहसीलदार छबडा को आदेशित किया है कि यदि किसी अपर कोर्ट से स्थगन आदेश नहीं हो तो अनुपालना सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेंटगण के कब्जा काश्त के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ग्राम पंचायत बारई द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ट पंचनामा उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेंटगण द्वारा विवादित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.05.1997 क्रय की है। विवादित आराजी के सन्दर्भ में विभिन्न न्यायालय में वाद के लम्बित रहने की अवधि में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विभिन्न न्यायालय निर्णयों के अवलोकन से रेस्पोडेंटगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.1998 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंटगण 1 ता 8 को अपने आदेश दिनांक 30.08.2000 से विवादित आराजी से बेदखल करने का आदेश इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.06.2008 से खारिज किया जा चुका है। वर्तमान अपीलांट का कथन है कि पक्षकारों में राजीनामा हुआ। न्यायालय ने तस्दीक भी किया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपील के साथ राजीनामे की जो प्रमाणित प्रति पेश की है उसके अवलोकन से राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक होना स्पष्ट नहीं होता। प्रस्तुत राजीनामे की प्रमाणित प्रति के अवलोकन के अनुसार अपीलांट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा आराजी लेने हेतु तैयार होना प्रथम दृष्टया यही दिखाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विभिन्न न्यायालय के निर्णय के अवलोकन के पश्चात् हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

महेन्द्र सिंह आयु 54 वर्ष मुतबन्ना कहैयालाल चौहान, निवासी छबडा, जिला बारां.

.... **अपीलांट**

बनाम

1. भागचन्द आयु 59 वर्ष आत्मज चतरभुज, जाति धाकड़
2. चुन्नीलाल आयु 47 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड़
3. चिरोजीलाल आयु 44 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
4. हंसराज आयु 34 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
5. मूलचन्द आयु 31 वर्ष आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
6. सुशीला बाई आयु 41 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
7. लाडबाई आयु 29 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड
8. नटीबाई आयु 69 वर्ष बेवा लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड

निवासीगण ग्राम रीछड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राजस्थान)

9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2017/00312**
मु.द.नं0 **192/2008**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **11.10.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **03 माह 03** सन् **2025**

श्री **दीनानाथ गालव** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2017 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27 माह 03 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)